झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

(श्रमायुक्त का कार्यालय, ई–मेल–labcomjhr@gmail.com)

आदेश

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) नियमावली 1972, के नियम–25 के उप–नियम (2) के खण्ड (v) के उप खण्ड (b) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रमायुक्त, झारखण्ड द्वारा ठेका श्रमिकों के सेवा शर्तों एवं मजदूरी की दरों का निर्धारण किया गया है। पुनः विभागीय आदेश ज्ञापांक–43, दिनांक–08.01.2020 द्वारा ठेका श्रमिकों के मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है। इस कोटि के कामगारों को उक्त नियम से संबंधित अनुलग्नक के प्रावधान–13 (iii) के आलोक में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा दिनांक–01.10.2023 की तिथि से अधिसूचित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें देय होगी।

अतः दिनांक–01.10.2023 की तिथि से उपर्युक्त नियम से आच्छादित ठेका श्रमिकों की मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी :–

श्रमिकों की कोटि	दिनांक–08.01.2020 से देय मजदूरी प्रतिमाह	दिनांक–01.10.2023 से देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ता	कुल मजदूरी प्रतिमाह
अकुशल	8,571.78	2,420.67	10,992.45
अर्द्ध कुशल	8,977.47	2,535.24	11,512.71
कुशल	11,935.06	3,370.46	15,305.52
अति कुशल	13,675.59	3,861.99	17,537.58

19/10

श्रमायुक्त, झारखण्ड।

ज्ञापांकः–1/ठे0म0अ0(श्रमा0)–08/2011 श्र0नि0 2144, राँची, दिनांक– 19-10-2023

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय प्रेस झारखण्ड, डोरण्डा, राँची–2 को सूचनार्थ एवं आगामी राजकीय गजट के अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19/10

श्रमायुक्त, झारखण्ड।

ज्ञापांकः–1/ठे0म0अ0(श्रमा0)–08/2011 श्र0नि0 2144, राँची, दिनांक– 19-10-2023

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/10

श्रमायुक्त, झारखण्ड।